सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व वाद संख्या 95/2016

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – लोटियाना

1. लक्ष्मी बेवा अमरा जाति रावत निवासी गांव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर(राज.)
2. मोहनसिह पुत्र श्री अमर सिह उर्फ अमरा जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर

.........................वादीगण

बनाम

1. भंवरसिह पुत्र श्री उदय सिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर
2. घीसी पत्नि श्री भॅवरसिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
3. नरपतसिह पुत्र श्री भॅवर सिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर
4. डूॅगरसिह पुत्र श्री भंवरसिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
5. हुक्मसिह पुत्र श्री भंवरसिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
6. सोनू पुत्र श्री भंवरसिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
7. मिठू सिंह पुत्र श्री हामा जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
8. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर (राज)
9. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय अजमेर जिला अजमेर (राज.)
10. श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

.........................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अंतिम निर्णय दिनांक 29.05.2018

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट लोटियाना में पेश हुआ। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2017 को निर्णय व प्रारंभिक डिक्री पारित की गई। जिसके तहत तहसीलदार ब्यावर ने डिक्री की अनुपालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 29.05.2018 को कैम्प कोर्ट लोटियाना में प्रस्तुत किया गया।

पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यथाप्रस्ताव बंटवारा की डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित है। अतः यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम सोनियाना पटवार क्षेत्र बिहार रतनपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर स्थित खसरा नंबर 273 रकबा 00–12–10 किस्म आबादी जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, को वादीगण लक्ष्मी पत्नी अमरसिंह मोहनसिंह पुत्र अमरसिंह के हिस्से में तथा खसरा संख्या 337 रकबा 00–01–10 किस्म बा.1+, 338 रकबा 00–09–00 किस्म बा.1+, 339 रकबा 00–15–00 किस्म बा.1+, 613 रकबा 00–10–00 किस्म बा.1 कुल रकबा 01–15–10 जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसान प्रेमसिंह मुन्नासिंह हरिसिंह भैरूसिंह गोकुलसिंह पि. मिठुसिंह राधा शान्ता पुत्रियां मिठुसिंह के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसान को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट लोटियाना में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर

(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तदाई
(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकाम ब्यावर
व अजलाम सुखराम खोखर आर. ए. एस.
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – लोटियाना

राजस्व वाद संख्या 95/2016

1. लक्ष्मी बेवा अमरा जाति रावत निवासी गांव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर(राज.)
2. मोहनसिह पुत्र श्री अमर सिह उर्फ अमरा जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर

.........................वादीगण

बनाम

1. भंवरसिह पुत्र श्री उदय सिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर
2. घीसी पत्नि श्री भॅवरसिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
3. नरपतसिह पुत्र श्री भॅवर सिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर
4. डूॅगरसिह पुत्र श्री भंवरसिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
5. हुक्मसिह पुत्र श्री भंवरसिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
6. सोनू पुत्र श्री भंवरसिह जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
7. मिठू सिंह पुत्र श्री हामा जाति रावत निवासी गॉव सोनियाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर
8. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर (राज)
9. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय अजमेर जिला अजमेर (राज.)
10. श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी महोदय, ब्यावर जिला अजमेर (राज.)

..........................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी – श्री नन्दकिशोर मिश्रा
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1,2,4,5 – श्री सूरजसिंह चौहान
अधिवक्ता प्रतिवादी सं.8से10 – पेरोकार सरकार तहसीलदार ब्यावर
मुकदमा राजस्व वाद नम्बर :– **95/2016**
निर्णय/डिक्री दिनांक :– **29.05.2018**

प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट लोटियाना में पेश हुआ। पेरोकार सरकार उपस्थित। मज़में आम में मौजूद पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.05.2018 को सुखराम खोखर (आए.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर के समक्ष लोक अदालत शिविर/कैम्प कोर्ट लोटियाना में अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि –

मज़में आम में रूबरू मोतबिरान पूछताछ एवं बंटवारा प्रस्ताव अनुसार यथाप्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार ग्राम सोनियाना पटवार क्षेत्र बिहार रतनपुरा तहसील ब्यावर जिला–अजमेर स्थित खसरा नंबर 273 रकबा 00–12–10 किस्म आबादी जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में आसमानी रंग से दर्शाया गया है, को वादीगण लक्ष्मी पत्नी अमरसिंह मोहनसिंह पुत्र अमरसिंह के हिस्से में तथा खसरा संख्या 337 रकबा 00–01–10 किस्म बा.1+, 338 रकबा 00–09–00 किस्म बा.1+, 339 रकबा 00–15–00 किस्म बा.1+, 613 रकबा 00–10–00 किस्म बा.1 कुल रकबा 01–15–10

.................लगातार

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

अंतिम डिगरी मुकदमा इब्तदाई
श्रीमती लक्ष्मी व अन्य बनाम श्री भंवरसिंह व अन्य
राजस्व वाद संख्या 95/2016
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प – लोटियाना

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

जिसे राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल रंग से दर्शाया गया है, को प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसान प्रेमसिंह मुन्नासिंह हरिसिंह भैरूसिंह गोकुलसिंह पि. मिठुसिंह राधा शान्ता पुत्रियां मिठुसिंह के हिस्से में रखे जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार ब्यावर को यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम करने एंव लगान कायम करने तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 व प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसान को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है कि वे वादीगण के हिस्से में आई भूमियों में किसी प्रकार की दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आज तारीख 29.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधि.एवं सहा. कलक्टर

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर
(सुखराम खोखर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन
सहायक कलक्टर, ब्यावर

उपखण्ड अधि.एवं सहा. कलक्टर